केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/302 दिनांक: 25.10.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00294
CICOM/R/2017/01077

अपीलकर्ता : **श्री आर. पी. वर्मा,**
एफ – 35, व्य. सं. 002777,
आयुध निर्माणी देहरादून -248008
मो0 – 9720466041.

निर्णय की तारीख : 25.10.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	25.08.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.09.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.10.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25.08.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी तथा श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 22.09.2017 को दोनों बिंदुओं से संबंधित सूचनाएं प्रदान की गई। अपीलकर्ता बिंदु सं. 2 के तहत प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट हैं तथा अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें प्रदान की गई अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सत्यापित नहीं है। प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अनुरोध किया है कि पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने आवेदन के बिंदु सं. 2 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग में समस्त पदों के स्वीकृत ढांचे का विवरण तथा उक्त ढांचे के सापेक्ष नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के नाम व पदनाम (लिपिक संवर्ग से लेकर मुख्य सूचना आयुक्त तक) उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि स्वीकृत पदों की सूची आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के लिंक Circulars में क्रम सं. 213 में उपलब्ध हैं एवं मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के लिंक RTI Disclosure में उपलब्ध है। अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है श्रीमती सविता तलूजा द्वारा बताए गए क्रम सं 213 पर वांछित सूचना न होकर कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध है। इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि समय पर समय पर आयोग की वेबसाईट पर अन्य Circular भी अपलोड होते रहने के कारण क्रम सं. मे बदलाव होता रहता है। अतः श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को बेवसाईट की लिंक न देकर आयोग में कार्यरत मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों एवं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सत्यापित सूची एवं स्वीकृत पदों का सत्यापित विवरण उपलब्ध करवाई जाए।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है।

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्रीमती सवित तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्र0), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

26/10/17

26 OCT 2017